तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5861/2004/टोंक मदनलाल बनाम काली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री सुनील गर्ग, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 29.08.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत् संशोधन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–1985 को खारिज किया गया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि मूल वाद में पक्षकारों के मध्य दिनांक 15–4–1985 को राजीनामा हुआ, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति के आधार पर दिनांक 23–7–1985 को तस्दीक किया तथा राजीनामें के आधार पर ही दिनांक 30–7–1985 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी। उनका कथन है कि राजीनामें में वर्णित शर्त संख्या–4 से मूर्ति मन्दिर के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय में मण्डल के प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में निर्णय पारित नहीं कर मनमाना आदेश पारित किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5861/2004/टोंक मदनलाल बनाम काली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी स्वीकार की जाकर निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व पारित निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पूर्व पारित निर्णय एवं डिक्री एवं प्रार्थनापत्र बाबत् संशोधन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–7–1985 एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रामबिलास वगैराह की ओर से विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण मदनलाल वगैराह के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–7–1985 से राजीनामें के आधार पर निर्णीत किया। तत्पश्चात् राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री में संशोधन कराने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–2–1996 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जिसे मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–4–2001 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5861/2004/टोंक मदनलाल बनाम काली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगराधीन निर्णय से निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी विवादित आराजी बाबत् पारित पूर्व निर्णय एवं डिक्री में चाहे गये संशोधन हेतु सहमत नहीं है। इसके साथ ही विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का था, जिसमें विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में प्रतिवादी को संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता कि उक्त शर्ता अनुसार अगर राशि जमा नहीं कराई गयी तो प्रतिवादी बेदखली कराने का अधिकारी होगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य